FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बाअदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

धन्नाराम बनाम सरपंच ग्रा० पं० पटेहू कांटो

किस्म मुकदमा रा० अपील 75 RLR Act नं. 01/16 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/3/16	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणधीराम सियाग ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 75 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/4/16 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/04/16	अपीलांट के वकील उपस्थित। उत्तरदातागणों के सम्मन तामिल अदम तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 02/06/16 को पेश हो।	
2/6/16	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित। कैम्प कोर्ट परेऊ में उत्तरदाता के सम्मन तामिल। अदम तामिल अप्राप्त। इंतजार होकर पत्रावली दिनांक 13/07/2016 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला - बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

अपीलांट
1. धन्नाराम पुत्र केहराम
2. खुमाराम पुत्र केहराम
3. हरीराम पुत्र केहराम
कायम मुकाम
3/1. बसन्तसिंह पुत्र हरि
3/2 खेतुदेवी पत्नी
जाति जाट

13/7/16 पत्रावली आज फॉलोअप कैम्प परेऊ में
पेश हुई। अपीलांट वकील उप०/उत्तरदाता
संख्या 3 स्वयं उपस्थित जिनके बयान
लिये जाकर शामिल मिसल किये गये।
उत्तरदातागण संख्या 3 से 10 की ओर से
वकील श्री कुंभसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा
मय जवाब पेश किया। बहस सुनी
गई। अपीलांटगण की अपील स्वीकार
की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा
जाकर, शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम
हो, दाखिल दफ्तर हो।

परमार

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) फॉलोअप कैम्प परेऊ

अपीलांट **बनाम** **उतरदाता**

1. धन्नाराम पुत्र वेहनाराम उर्फ बन्ना
2. खूमाराम पुत्र वेहनाराम उर्फ बन्ना
3. हरीराम पुत्र वेहनाराम उर्फ बन्ना फौत के कायम मुकाम
   3/1. बसन्तसिंह पुत्र हरीराम
   3/2. खेतुदेवी पत्नी हरीराम

जाति जाट निवासी लापुन्दड़ा तरली तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, परेउ
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, लापुन्दड़ा
3. धर्माराम पुत्र वेहनाराम उर्फ बन्नाराम
4. भलाराम पुत्र समरथाराम
5. अमरूदेवी पत्नी समरथाराम
6. मंगलाराम पुत्र पुरखाराम
7. गोधूराम पुत्र मोडाराम
8. अमराराम पुत्र मोडाराम
9. खेमाराम पुत्र मोडाराम
10. धापू बेवा मोडाराम
    जाति—जाट, निवासी—लापुन्दड़ा तरली
11. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा परेउ
12. तहसीलदार, गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

दिनांक :— 13/07/2016.

प्रकरण संख्या 01/16

—: आदेश :—

अपीलांटगण द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 24.05.1968 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल परेउ के ख.नं. 368, 369, 392, 396, 484, 585 रकबा 00.07, 18.17, 09.09, 04.12, 11.06, 205.07 बीघा में आई हुई है। अपीलांट के दादा पूनमा के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण उतरदातागण संख्या 3 व उत्तरदातागण संख्या 4 व 5 के दादा व 6 के पिता के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया है। जबकि अपीलांटगण भी पूनमा के वारिश होने के कारण उसका नाम उक्त खातेदारी भूमि में दर्ज होना था। लेकिन अपीलांटगण का नाम नामान्तरकरण भरते समय छूट गया। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांटगण का नाम उतरदाता संख्या 3 धर्मा पुत्र पूनमा के स्थान पर धर्मा पुत्र वेहना उर्फ बन्ना कर उसके साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांट द्वारा देरी के लिये धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदातागण संख्या 3 से 10 की ओर से वकील श्री कुंभसिंह चौधरी की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। उत्तरदातागण संख्या 1 व 2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला : बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 24.05.1968 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांटगण के दादा पूनमा के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांटगण का नाम उतरदाता के साथ दर्ज नहीं किया गया है। अपील के समर्थन में अपीलांटगण के वकील द्वारा अपीलांटगण के परिचय–पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र आदि पेश किये।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व उत्तरदातागण के इकबाली जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांटगण के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांटगण के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरी प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 24.05.1968 को खारिज किया जाकर, **ग्राम दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल परेउ के ख.नं. 368, 369, 392, 396, 484, रकबा 00.07, 18.17, 09.09, 04.12, 11.06, बीघा में धर्मा पुत्र पुनमा के स्थान पर धर्मा पुत्र वेहना उर्फ बन्ना दर्ज कर, अपीलांटगण का नाम उत्तरदातागण संख्या 3 से 6 के साथ दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 585 रकबा 205.07 बीघा भूमि में धर्मा पुत्र पुनमा के स्थान पर धर्मा पुत्र वेहना उर्फ बन्ना दर्ज कर, अपीलांटगण का नाम उत्तरदातागण संख्या 3 से 10 के साथ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** उक्त आदेश के अनुसार तहसीलदार गिड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2016 को राजस्व लोक अदालत फॉलोअप कैम्प परेउ में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner